राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ( )/अलेसे–II/9521–9530 दिनांक :–28मई 2013

आदेश संख्या 75 / 2013–14

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राज. अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रूपये 11100/– (ग्यारह हजार एक सौ रूपये) प्रति माह के स्थाई पारिश्रमिक पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि वे ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान **क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र बीकानेर पर दिनांक 03.06.2013 को प्रातः 9.30 बजे प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति देवें।** प्रशिक्षण अवधि 16 सप्ताह होगी तथा इस अवधि में उनके वेतन आदि का भुगतान संस्थान द्वारा किया जावेगा। उक्त प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है अतः प्रशिक्षणार्थी को ठहरने आदि की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी।

क.स.	मेरिट क्रमांक	रोल नम्बर	नाम/ पिता का नाम	श्रेणी	जन्म तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	237	600277	संदीप कुमार सैनी / तारा चन्द सैनी हनुमानगढी के पीछे, वार्ड नम्बर 4, खेतडी, झुन्झनू	OBC	06.11.1985
2.	370	714615	सोहन लाल मीणा/ भरतलाल मीणा ग्राम नाहरसिंह पुरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर	ST	15.08.1990

उपरोक्त अभ्यर्थियों की लेखाकार पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो पर की जा रही है:–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
2. यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तो के अध्यधीन होगी।
3. यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक आरक्षी,.सी.आई.डी (सुरक्षा) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण– पत्र की शर्त पर है।
4. अभ्यर्थी को प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति देते समय दस रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न प्रारूपानुसार एक अनुबन्ध पत्र / बाण्ड जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो देना होगा। बिना उपरोक्त शपथ–पत्र के उनकी उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
5. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी, किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रशिक्षण में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
6. इस अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुतीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होगें ।

8. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी ।
9. उक्त नियुक्तियॉ माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी ।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी को कार्यग्रहणकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में उक्त प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित तिथि को यथासमय निश्चित रूप से उपस्थिति देकर इस विभाग को सूचित करेगें अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट कमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

निदेशक

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ( )/अलेसे–II/9521-9530 दिनांक :– मई 2013

प्रतिलिपिः–

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. निदेशक, ह.च.मा.राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान, जयपुर
4. श्री.. को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निर्धारित तिथि को प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट संस्थान के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
5. **उप निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, बीकानेर** को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अभ्यर्थियों की उपस्थिति से पूर्व दस रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में एक अनुबन्ध पत्र/ बाण्ड एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति रिपोर्ट स्वीकार करें, तथा इसे निदेशालय को (चिकित्सा प्रमाण पत्र के अतिरिक्त) प्रेषित करावें।
6. विशोषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु
7. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक
8. गोपनीय शाखा
9. रक्षित/निजी पत्रावली

निदेशक